तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 83/2024 (2024/209) सायरी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया सायरी पुत्री भेराराम पत्नि लक्ष्मणराम जाति पटेल निवासी शेखानाडा तहसील लूणी की सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम शेखानाडा के खसरा नम्बर 273 रकबा 7.2843 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 273/1 रकबा 10.4656 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सायरी के स्थान पर साहूदेवी दर्ज कर दिया गया। जो कि गलत है। जिसे साहूदेवी के स्थान पर सायरी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/10 दिनांक 02.01.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम शेखानाड़ा के खसरा नम्बर 273 रकबा 7.2843 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 273/1 रकबा 10.4652 हैक्टेयर किस्म बारानी।+ साहूदेवी पुत्री भेराराम वगैरा जमाबन्दी अनुसार पटेल सा. देह खातेदार वर्तमान रेकर्ड अनुसार दर्ज है। ग्राम मोगड़ा कंला के नामान्तरकरण संख्या 1574 के जरिये खसरा नम्बर 273/1 एवं नामान्तरकरण संख्या 1622 के जरिये खसरा नम्बर 273 में खातेदार साहूदेवी पुत्री भेराराम जाति पटेल के नाम का इन्द्राज होना पाया गया। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैक डायरी, पहचानकार्ड इत्यादि पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम शेखानाड़ा के खसरा नम्बर 273 रकबा 7.2843 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 273/1 रकबा 10.4652 हैक्टेयर किस्म बारानी।+ में प्रार्थीया का नाम साहूदेवी के स्थान पर सायरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	